

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

सं० सं०-17/कोर्ट-51/2019

पटना, दिनांक :- / /2025

विभागीय पत्रांक-864(17) दिनांक-28.10.2021 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-4920/2018 में दिनांक-08.05.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेश याचिका संख्या-18203/2009 डॉ० लक्ष्मी नारायण सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-30.08.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में डॉ० लक्ष्मी नारायण सिंह हेतु पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में दिनांक-29.11.1985 के प्रभाव से सह-प्राध्यापक (शैक्षणिक पद), पैथोलॉजी विभाग, वेतनमान-3700-5000/- में 01 (एक) छाया पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।

2. उक्त विभागीय पत्रांक-864(17) दिनांक-28.10.2021 में अंकित " वेतनमान-3700-5000/- " के स्थान पर संशोधित रूप से " वेतनमान-1575-2300/- " पढ़ा जाय।

3. उक्त विभागीय पत्रांक-864(17) दिनांक-28.10.2021 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक- 17/ कोर्ट-51/2019 - 195(17)

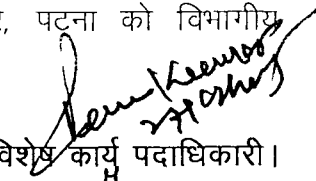
पटना, दिनांक :- 27/02/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० लक्ष्मी नारायण सिंह, तत्कालीन सहायक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना। पत्राचार का पता-104, सतोषा कॉम्प्लेक्स, बंदर बगीचा, फ्रेजर रोड, जिला-पटना, पिन-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02, 03, 07, 10 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।